संशोधन आदेश

संख्या- 52 / 2019 /3883/ चार-2018

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 08 मार्च, 2019**

विषय:- राजकीय संग्रहालय, झांसी में संग्रहालय वीथिकाएं व बाहरी दीवारों की पेन्टिंग हेतु व्यय की स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 23/2019 /3883/चार-2018 दिनांक 20 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 23/2019 /3883/चार-2018 दिनांक 20 फरवरी, 2019 के पृष्ठांकन में कोषाधिकारी, झांसी के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ का त्रुटिवश अंकन हो गया है। अत: पृष्ठांकन में 'मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर कोषाधिकारी, झांसी' पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 23/2019 /3883/चार-2018 दिनांक 20 फरवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 52 / 2019 /3883/ चार-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- उप निदेशक, राजकीय संग्रहालय, झांसी।
3- कोषाधिकारी, झांसी।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/